राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर
(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)
टेलीफैक्स 0141–2222403, ईमेल–stp.lsg@rajasthan.gov.inवेब साईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : F.59 STP/DLB/Review of M.P.(55)/14/ 4822 दिनांक :– 5/4/19

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर परिषद/नगर पालिका
समस्त

विषयः–जोनल डवलपमेंट प्लान के कार्य की प्रगत रिपोर्ट बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि जोनल डवलपमेंट प्लान बनाये जाने के संबंध में पूर्व में समय–समय पर जारी आदेश दिनांक 10.01.2018, 16.03.2018, 26.03.2018, 25.06.2018, 03.01.2019, 06.02.2019 द्वारा जारी दिशा–निर्देशानुसार राज्य की समस्त नगरीय निकायों में जोनल डवलपमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त आदेशों के क्रम में संबंधित नगरीय निकाय द्वारा कन्सलटेंट के माध्यम से जोनल डवलपमेंट प्लान बनवायें जाने हेतु कार्यादेश जारी किये गये हैं। विभागीय आदेश क्रमांक 3980 दिनांक 14.11.2018 अनुसार भी जोनल डवलवमेंट प्लान कार्य का निदेशालय स्तर से तकनीकी अनुमोदन पश्चात् भुगतान किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त संबंध में निदेशालय स्तर पर यह तथ्य नोट किया गया कि कतिपय नगरीय निकायों द्वारा जोनल डवलपमेंट प्लान के कार्यों का बिना सक्षम तकनीकी अनुमोदन ही कन्सालटेंसी फर्मो को भुगतान किया जा रहा है, जो कि अनियमितता की श्रेणी में आता है।

अतः एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है, कि जोनल डवलपमेंट प्लान की प्रगति रिपोर्ट तथा सक्षम स्तर से अनुमोदन की सुनिश्चिता आवश्यक रूप से निदेशालय की आयोजना शाखा में निम्न प्रारूप अनुसार तैयार कर भिजवायें जाने की सुनिश्चिता करें।

नगरीय निकाय का नाम	जोनल डवलपमेंट प्लान के कार्य आदेश दिनांक (प्रति संलग्न करें)	कन्सलटेन्ट फर्म का नाम/पता	आज दिनांक तक किये गये कार्य की सॉफ्ट कॉपी (मय रिपोर्ट)	कन्सलटंट फर्म को जोनल डवलपमेंट प्लान के किये गये कार्य हेतु अब तक किये गये भुगतान का विवरण

उक्त की पालना अविलम्ब रूप से सुनिश्चित की जावें।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

क्रमांक : F.59 STP/DLB/Review of M.P.(55)/14/4823–4832 दिनांक :– 5/4/19
प्रतिलिपि निम्नांकित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. आयुक्त, नगर निगम जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।

6. क्षैत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग जयपुर / जोधपुर / कोटा / अजमेर / उदयपुर / भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि अपने क्षेत्र के अधीन समस्त नगरीय निकायों को सूचित करें।
7. आयुक्त, नगर परिषद, समस्त।
8. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, समस्त।
9. CMAR को प्रति प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को CMAR की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
10. System analyst cum Joint Director, DLB को प्रति प्रेषित कर लेख है कि आदेश को स्वायत्त शासन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

(मुकेश मित्तल)
वरिष्ठ नगर नियोजक

[Type text]